फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री मांगीलाल **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. **पत्रावली संख्या : 100/18**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 26.02.2021 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता प्रार्थी अनुपस्थित हैं। राजपेरोकार एवं अप्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता श्री शंकरलाल डांगी उपस्थित। विपक्षी/राजपेरोकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि के चारों दिशाओं की पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् लगातार अनुपस्थित रहे हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अ. पेश कर वादग्रस्त भूमि के चारों दिशाओं की पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण नक्शा ट्रेस की प्रति पेश नहीं की है जिससे प्रथम दृष्टया वादग्रस्त आराजीयात के चारो दिशाओं के पडोस की स्थिति स्पष्ट नहीं होती हैं। प्रार्थी का यह दायित्व है कि वह विवाद का पर्याप्त कारण एवं विवाद करने वाले पक्षकारों के बारे में न्यायालय के समक्ष पूर्ण प्रमाण पेश करें। विवाद का स्पष्ट कारण भी बतावें। परन्तु इस प्रकरण में प्रार्थी द्वारा विवाद होने का कारण एवं चारों दिशाओं के पडोस की विस्तृत स्थिति के दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। इससे केवल कथन के आधार पर विवाद की स्थिति की स्पष्ट नहीं किया जा सकता हैं। प्रार्थी भी लगातार पेशियों पर अनुपस्थित रहा हैं। अतः प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थना पत्र को अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहा हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया। **(मयंक मनीष IAS)** **सहायक कलक्टर** **(SDO)मावली** Signature Not Verified Digitally signed by Mayank Manish Date: 2021.03.04 10:36:09 IST Reason: SelfAttested	